न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः– जयप्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः– 28 / 2008 / रेफरेन्स

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दांतारामगढ़ जिला सीकर

प्रार्थी

बनाम

1 मनीदेवी बेवा लक्ष्मणराम, ताराचन्द पुत्र लक्ष्मणराम जाति कुम्हार निवासी गुमानपुरा

अप्रार्थीगण

रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय **दिनांकः–24.10.2019**

इस प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मण्ढ़ा (सुरेरा) के आराजी ख0नं0 1305 रकबा 0.0900 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.0900 है0 की वर्तमान खातेदारी मनीदेवी बेवा लक्ष्मणराम, ताराचन्द पुत्र लक्ष्मणराम जाति कुम्हार निवासी गुमानपुरा के नाम से दर्ज है। ग्राम मण्ढ़ा (सुरेरा) तहसील दांतारामगढ़ की भूमि खसरा नम्बर 596 रकबा 7 बिस्वा किस्म गै.मु.नहर खाता संख्या 1 में सम्वत् 2022–25 में दर्ज रिकार्ड थी। उक्त जमाबन्दी में भूमि गैर मुमकीन जोहड़ी दर्ज रिकार्ड थी। तहसीलदार दांतारामगढ़ के आदेश द्वारा उक्त भूमि गणेश पुत्र गीगा जाति कुम्हार को दिनांक 12.05.69 को कृषि योग्य भूमि मानकर आवंटन कर दी गयी तथा उक्त आदेश की पालना में उक्त भूमि गणेश पुत्र गीगा जाति कुम्हार के नाम नामांतकरण संख्या 214 दिनांक 02.07.69 से गैर खातेदारी में दर्ज हुई है। नामांतकरण संख्या 675 दिनांक 07.05.81 से उक्त भूमि की खातेदारी गणेश पुत्र गीगा जाति कुम्हार के नाम से दर्ज हुई है। नामांतकरण संख्या 145 दिनांक 01.11.2001 से उक्त भूमि विरासत से मु.मनीदेवी बेवा लक्ष्मणराम, ताराचन्द पुत्र लक्ष्मणराम जाति कुम्हार के नाम दिनांक 01.11.2001 से उक्त भूमि दर्ज हुई। भू–प्रबन्ध के दौरान साबिक खसरा नम्बर 596 से नये खसरा नम्बर 1305 जिसमें भू–प्रबन्ध विभाग ने भूमि की किस्म बारानी 2 दर्ज कर खातेदारी में दर्ज कर दी। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत गैर मुमकीन नदी / नाला / झील / तालाब / चारागाह / जलाशयों की भूमि का आवंटन योग्य नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी बी, सिविल जनहित याचिका संख्या 1536 / 03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.08.04 से राज्य सरकार को पेरा संख्या 1 में उल्लेखित भूमि जो नदी / नाला / झील / तालाब / जलाशय / जलप्रवाह / जलस्थिर की भूमि दर्ज रिकार्ड थी, जो पश्चातवर्ती भू–अभिलेख सहक्रियायें के तहत निजी खातेदारी / अन्यत्र दर्ज हो गई ऐसे प्रकरणों में कार्यवाही कर ऐसी जलोड गैर मुमकीन भूमियों को पुनः पूर्व रिकार्ड के अनुसार गैर मुमकीन जलोड भूमि दर्ज करने के निर्देश दिये है। अतः माननीय उच्च न्यायालय के रिट संख्या 1536 / 03 में पारित आदेश के क्रियान्वयन में रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1955 एवं अन्तर्गत धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन है कि आवंटन / नियमन आदेश दिनांक 12.05.69 एवं नामांतकरण संख्या 214 को निरस्त फरमाकर भूमि वादग्रस्त को सिवाय चक गैर मुमकीन नहर दर्ज करने के आदेश पारित करावें।

मुताबिक आराजी खसरा नम्बर 596 की खातेदारी नदी नाले किस्म गै.मु.नहर दर्ज रिकार्ड अंकित है। जमाबन्दी सम्वत् 2026–2029 के मुताबिक उक्त आराजियात की खातेदारी गणेश पुत्र गीगा कौम कुम्हार सा.गुमानपुरा गैर खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड अंकित है। नामांतकरण संख्या 214 मुताबिक तहसीलदार के आदेश के द्वारा खसरा नम्बर 596 में से 7 बिस्वा भूमि गनेस पुत्र गीगा कौम कुम्हार निवासी गुमानपुरा तन मण्ढ़ा के नाम तस्दीक कर दिया गया। नामांतकरण संख्या 675 के द्वारा गैर खातेदारी से खातेदारी अंकीत कर दी गई। भू–प्रबन्ध के दौरान साबिक खसरा नम्बर 596 जिसके नये खसरा नम्बर 1305 अंकित कर दिये गये। तत्पश्चात् नामांतकरण संख्या 145 खातेदार गणेशराम पुत्र गीगाराम फौत होने पर विरासत मनीदेवी बेवा लक्ष्मणराम ताराचन्द पुत्र लक्ष्मणराम सा.गुमानपुरा के नाम तस्दीक कर दिया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2022–2025 के मुताबिक खसरा नम्बर 596 की खातेदारी नदी नाले किस्म गै.मु.नहर के नाम दर्ज रिकॉर्ड अंकित है। नामांतकरण संख्या 214 मुताबिक नियमन आदेश के द्वारा खसरा नम्बर 596 में से 7 बिस्वा भूमि गनेश पुत्र गीगा कौम कुम्हार निवासी गुमानपुरा तन मण्ढ़ा के नाम तस्दीक कर दिया गया एवं जमाबन्दी सम्वत् 2026–2029 के मुताबिक उक्त खातेदारी गणेश पुत्र गीगा कौम कुम्हार सा.गुमानपुरा गैर खातेदार के नाम दर्ज कर दी गई। जमाबन्दी सम्वत् 2022–2025 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उपरोक्त वर्णित आराजियात नदी नाले की है तथा किस्म गै.मु. नहर दर्ज है। जबकि गैर मुमकीन जोहड़, नदी, नाला, तालाब का धारा 16 आरटीएक्ट से प्रतिबंधित ही नहीं, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अब्दूल रहमान बनाम स्टेट में ऐसी अनियमितताओं को राजस्व मण्डल राजस्थान से निरस्त करवाने के आदेश भी है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम मण्ढ़ा (सुरेरा) तहसील दांतारामगढ़ की तन में स्थित भूमि खसरा नम्बर 596 जिसके नये खसरा नम्बर 1305 में से 0.09 है0 की अप्रार्थी को दी गई खातेदारी निरस्त किये जाने की अभिशंषा की जाती है। मूल पत्रावली निबंधक राजस्व मण्डल राज. अजमेर को भेजी जाती है।

निर्णय आज दिनांक 24.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/10/19

(जयप्रकाश)

अति0 जिला कलक्टर, सीकर

अति० जिला कलक्टर, सीकर

अपर जिला कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट सीकर